समक्ष

आई.एस.तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति

मेसर्स कृष्णा बस सर्विस (पी.) लिमिटेड, दिल्ली-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या, 1978 का 1770

14 नवंबर 1983

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV)- धारा 133-ए - पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940 - नियम 10.2 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 166 - हरियाणा के महाप्रबंधक रोडवेज - क्या अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक ऑपरेटर - महाप्रबंधक को एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रदत्त किया जाना - क्या अनुमेय- ऐसा प्रदत्त - क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन - क्या किसी कंपनी द्वारा आरोप लगाया जा सकता

है - ऐसी शक्तियां प्रदान करने वाली अधिसूचना - क्या परिवहन विभाग द्वारा जारी की जा सकती है?

ये निर्धारित किया गया कि हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए पुलिस उपाधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, को केवल उसके विविध कर्तव्यों में से एक जो की आवेदन करना है या हरियाणा रोडवेज के पक्ष में परिवहन परमिट प्रदान करना या अन्य राज्यों के अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना, के आधार पर 'ऑपरेटर' के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते पूरे मामले में उनका कोई निजी हित नहीं है। वह केवल राज्य की ओर से परिवहन व्यवसाय का प्रबंधन करता है और उसके कामकाज के बारे में कोई दुर्भावनापूर्ण और अनावश्यक विचार नहीं किया जा सकता है या उसके कामकाज के बारे में उचित रूप से इस आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा एक ऑपरेटर की बसों की बार-बार जांच की गई है और नियम के उल्लंघन के लिए चालान किया गया है। चालान का एकमात्र परिणाम यह होता है कि संचालक को संक्षिप्त लेकिन न्यायिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है। वह कोई भी बचाव करने और संबंधित न्यायालय को यह दिखाने के लिए स्वतंत्र है कि वह नियमों या अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का दोषी नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम व्यक्तियों के वर्ग या वर्ग निर्धारित नहीं करता है जिन पर अधिनियम के तहत

प्रयोज्य पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग में कोई प्रतिबंध अधिनियम की धारा 133-ए के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि अधिनियम की धारा 133-ए के प्रावधान संवैधानिक हैं, जो कि हैं, तो राज्य सरकार को किसी विशेष श्रेणी के अधिकारियों को उपरोक्त शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

(पैरा 5)

ये निर्धारित किया गया कि केवल यह संभावना कि कानून द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, कानून की वैधता को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को प्रदत्त शक्तियों को केवल इसलिए अत्यधिक या मनमाना नहीं कहा जा सकता कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

(पैरा 6)

ये निर्धारित किया गया कि एक निगम या कंपनी संविधान के प्रयोजनों के लिए नागरिक नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है।

(पैरा 7)

ये निर्धारित किया गया कि पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940 की धारा 133-ए के प्रावधानों और नियम 10.2 के उप-नियम (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से

स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ अधिकारियों को प्रदत्त पुलिस शक्तियां अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं या केवल अधिनियम के तहत प्रयोग योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि इन अधिकारियों को सामान्य अर्थों में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे पुलिस अधिनियम या पंजाब पुलिस नियमों या आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित किसी अन्य कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का आनंद लेते हैं। यह मुख्य रूप से सचिव, परिवहन विभाग की चिंता है कि वह उस विभाग के कामकाज को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार देखें और इस प्रकार अधिसूचना जारी करना पूरी तरह से उनके क्षेत्र में है।

(पैरा 8)

जुंटा मोटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ, 1970(1) इलाहाबाद लॉ जर्नल 810।

से असहमत।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित की कृपा करे:-

I. उत्तरदाताओं के विरुद्ध एक नियम निसी जारी करें।

II. उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड इस माननीय न्यायालय को सौंपने का आदेश दें।

III. अधिसूचना, दिनांक 16 मार्च 1973, अनुलग्नक पी-1 और उसके तहत की गई अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करें।

IV. अधिसूचना के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोकें। अनुलग्नक पी-1 और किए गए चालान (प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी किए गए) को अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और शून्य माना जाएगा।

V. आगे प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 4 को रिट याचिका के अंतिम निपटान तक प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किए गए चालान के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोका और प्रतिबंधित किया जाए।

VI. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की कृपा की जाए।

सी एम 1983 का क्रमांक 2631.

सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत आवेदन प्रार्थना है कि प्रतिकृति को रिकॉर्ड में रखा जाए।

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता डी. एस. नेहरा और अरुण नेहरा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से अधिवक्ता अरुण बंसल के साथ अधिवक्ता बी.एस. गुप्ता।

निर्णय

आई.एस. तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता परिवहन कंपनी 16 मार्च 1973 (अनुलग्नक पी-1) को जारी अधिसूचना पर आपत्ति जताती है, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को पुलिस उपाधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (संक्षेप में, अधिनियम) के प्रावधानों को नियमों के नियम 10.2 में संशोधन के माध्यम से, जिसे पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940 के रूप में जाना जाता है, विभिन्न आधारों पर करा गया है। यह चुनौती निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है:-

(2) याचिकाकर्ता राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा दिए गए और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिसार द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर अंतर-राज्यीय दिल्ली-हिसार मार्ग पर प्रतिदिन बारह वापसी यात्राएं चलाता है। ये परमिट अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में हरियाणा और दिल्ली राज्यों के बीच पारस्परिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप दिए गए हैं। पिछले कुछ समय से, हरियाणा राज्य ने पूरे राज्य में परिवहन सेवाओं का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया है और इस प्रकार निजी ऑपरेटर समाप्त हो गए हैं। महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज,

प्रतिवादी संख्या 3, हिसार डिपो में कार्यरत रोडवेज की सेवाओं और कर्मचारियों के संचालन को नियंत्रित करते हैं। उनके विविध कर्तव्यों में से एक है, राज्य के परिवहन अधिकारियों को परमिट के लिए आवेदन करना और उन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए दिल्ली अधिकारियों को आवेदन करना। याचिकाकर्ता के अनुसार यह दायित्व हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को ''उपरोक्त मार्ग पर बस सेवाएं चलाने वाला एक ऑपरेटर'' बनाता है। उन्हें, याचिकाकर्ता के साथ, अपनी बसों को शेड्यूल के अनुसार चलाने के लिए एक संयुक्त समय-सारिणी बनाने की भी आवश्यकता है। चूंकि याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी राज्य की बसें 'खस्ताहाल' और 'अक्सर खराब' हैं और संभवतः याचिकाकर्ता द्वारा चलाई गई बसों के साथ दक्षता और कई अन्य मामलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं, "एक खराब और नाखुश संबंध विकसित हो गया है याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 के बीच"। उपरोक्त उल्लिखित पृष्ठभूमि के कारण और निजी ऑपरेटरों को हरियाणा राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने की अनुमति न देने की राज्य सरकार की स्वीकृत नीति के अनुरूप, प्रतिवादी नंबर 3 ने अपने नए कार्य,एक पुलिस अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता कंपनी को परेशान करना और चालान करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता का मामला आगे यह है कि कुछ बाहरी कारणों और उपरोक्त शक्ति के लापरवाह अभ्यास के परिणामस्वरूप, कंपनी को 6 जनवरी, 1978 से मध्य अप्रैल, 1978 की अवधि के दौरान पंद्रह से अधिक बार चालान किया गया है। इसकी ओर से यह भी बताया गया है कि रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ इसी तरह की चूक और कमीशन के लिए, उनकी बसों को इस

अधिकारी द्वारा जाँच या चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अन्य निजी ऑपरेटरों के साथ मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री, हरियाणा को कई अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन तथ्यों के आलोक में, उसकी ओर से यह तर्क दिया गया है कि:-

(i) अधिनियम किसी ऑपरेटर या उसके नौकरों या अधिकारियों को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान करने पर विचार नहीं करता है;

(ii) राज्य के अधिकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान करना, जिन्हें एक ऑपरेटर की भूमिका निभानी है और निजी ऑपरेटरों को समान शक्तियां प्रदान नहीं करना, भेदभाव का कार्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है;

(iii) हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को उपर्युक्त शक्तियां प्रदान करना और याचिकाकर्ता के खिलाफ लापरवाह तरीके से इसका प्रयोग करना याचिकाकर्ता द्वारा परिवहन व्यवसाय या व्यापार करने पर अनुचित प्रतिबंध है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 19(एल)(जी) के प्रावधानों के लिए अपमानजनक है; और

(iv) सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, जिनके हस्ताक्षरों के तहत विवादित अधिसूचना जारी की गई है; इसे जारी करने में सक्षम नहीं था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार पुलिस विभाग और राज्य के एक अधिकारी को पुलिस शक्तियां

प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग में निहित है, न कि परिवहन विभाग में।

(3) इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य का कहना है कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 133-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज को पुलिस उपाधीक्षक की शक्तियां प्रदान करना किसी भी तरह से भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के लिए अपमानजनक नहीं है। उक्त अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराने और इस बात से इनकार करने के अलावा कि पार्टियों के बीच कोई खराब खून-खराबा या नाखुश रिश्ता था, उसने अपनी ओर से इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता के पास अदालत में महाप्रबंधक की कार्रवाई को चुनौती देने का हर मौका है, जब उसके खिलाफ उसके द्वारा तैयार किए गए चालान के परिणामस्वरूप उसे न्यायिक परीक्षण पर रखा जाता है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए उपरोक्त उल्लिखित विवादों की योग्यता की जांच करने के लिए, क़ानून और नियमों के निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है: -

"धारा 133-ए.–मोटर वाहन अधिकारी की नियुक्ति.–

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, एक मोटर वाहन विभाग स्थापित कर सकती है और उसके अधिकारियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

"नियम 10.2.–अधिकारियों का वर्गीकरण.–

(1) कर्मचारियों की पांच श्रेणियां होंगी, अर्थात्: - श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III, श्रेणी IV और श्रेणी V।

(2) प्रत्येक वर्ग में शामिल अधिकारी और अधिनियम के तहत उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुलिस शक्तियां, प्रत्येक के सामने नीचे दी गई होंगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुलिस शक्तियां केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत मोटर वाहन अपराधों के संबंध में हैं।

श्रेणी II

(ए) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण।	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ।
(बी) अतिरिक्त सहायक परिवहन नियंत्रक (ओ)	ऊपर की तरह
(सी) अतिरिक्त सहायक परिवहन नियंत्रक (टी)	ऊपर की तरह

(डी) महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज.	एक डिप्टी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ

जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, इस खंड (डी) को उपर्युक्त अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 जारी करने के साथ संशोधन के माध्यम से उपर्युक्त नियम में जोड़ा गया है। उपरोक्त उल्लिखित विवादों की जांच करने पर और विद्वान अधिवक्ता के तर्क के आलोक में, मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

(5) पहले तीन तर्कों का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्राथमिक रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसे **जुंटा मोटर ट्रांसपोर्ट और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ**[1] के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस फैसले पर गौर करने पर, मुझे पता चला कि इसमें अपनाए गए तर्क के आलोक में पहले दो तर्कों को सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है। अन्यथा, मेरा यह भी मानना है कि महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जिन्हें अनुबंध पी-1 के तहत अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए पुलिस उपाधीक्षक की पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

[1] 1970 (1) इलाहाबाद लॉ जर्नल 810

अधिकृत किया गया है, को इस रूप में शैलीबद्ध नहीं किया जा सकता है एक 'ऑपरेटर' केवल इस आधार पर कि उसके विभिन्न कर्तव्यों में से एक हरियाणा रोडवेज के पक्ष में परिवहन परमिट के अनुदान के लिए आवेदन करना या दिल्ली अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना है। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते पूरे मामले में उनका कोई निजी हित नहीं है। वह केवल राज्य की ओर से परिवहन व्यवसाय का प्रबंधन करता है। केवल इस आधार पर कि उनके द्वारा याचिकाकर्ता की बसों की बार-बार जाँच की गई है और नियमों के उल्लंघन के लिए चालान किया गया है, उनके कामकाज के बारे में कोई दुर्भावनापूर्ण या असंगत विचार नहीं ठहराया जा सकता है या उचित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसा कि प्रतिवादी अधिकारियों ने पहले ही बताया और उजागर किया है, उन चालानों का एकमात्र परिणाम यह है कि याचिकाकर्ता को एक संक्षिप्त लेकिन न्यायिक परीक्षण का सामना करना पड़ता है। वह कोई भी बचाव करने और संबंधित न्यायालय को यह दिखाने के लिए स्वतंत्र है कि वह नियमों या अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का दोषी नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम उन व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को निर्धारित नहीं करता है जिन पर अधिनियम के तहत प्रयोज्य पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग में कोई प्रतिबंध अधिनियम की धारा 133-ए के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। यहां इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि इस याचिका में धारा 133-ए के प्रावधानों को दूर-दूर तक चुनौती नहीं दी गई है, जो प्रावधान राज्य सरकार को प्रावधानों को पूरा करने के

लिए अपने एक अधिकारी को पुलिस शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। बल्कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री डी.एस. नेहरा ने बहस के समय बहुत ही निष्पक्षता और स्पष्टता से स्वीकार किया कि क़ानून के इस प्रावधान की संवैधानिकता को संभवतः किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसा है, तो फिर राज्य सरकार को एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों को उपर्युक्त शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता कैसे हो सकती है। यह फिर से ध्यान देने योग्य है कि विद्वान वकील किसी भी तरह से द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की श्रेणियों (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक की बेहतर शक्तियां प्रदान करने की वैधता को चुनौती नहीं देता है। वे अधिकारी भी उतने ही राज्य के अधिकारी हैं जितने श्रेणी (डी) में उल्लिखित हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक हैं।

(6) सुनवाई के समय, विद्वान वकील ने भी आधे-अधूरे मन से तर्क दिया कि महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज को प्रदत्त शक्तियां अत्यधिक और मनमानी हैं, जिसका उनके द्वारा उचित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है और याचिका के मामले के अनुसार वास्तव में, उनके द्वारा अधिसूचना या नियम का दुरुपयोग किया गया है जो उन्हें ये शक्तियां प्रदान करता है, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। हालाँकि विद्वान वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में किसी सिद्धांत या मिसाल का हवाला नहीं दिया, फिर भी मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि केवल इस बात की संभावना है

कि कानून द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, कानून की वैधता को ख़त्म करने का आधार नहीं हो सकता। पुनः विशेष न्यायालय विधेयक 1978[2] के संबंध में अपने प्रसिद्ध फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के सात माननीय न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ ने, पहले के कई मामलों की जांच करने के बाद, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उत्पन्न होने वाली समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से निपटते थे, उन तेरह प्रस्तावों को कहा गया जो उन निर्णयों से उभरे और प्रस्ताव संख्या 10 पर बताया गया जो इस मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक है, निम्नलिखित शब्दों में: -

> "किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने वाला कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, इसका निर्धारण इस धारणा पर नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा प्राधिकारी अपने लिए प्रतिबद्ध विवेक का प्रयोग करते हुए मनमाने तरीके से कार्य करेगा। कानून द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग होता है; लेकिन ऐसी आशंका के कारण कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। विवेकाधीन शक्ति आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण शक्ति नहीं है।"

इस प्रकार, मैं विद्वान वकील के पहले दो तर्कों को खारिज करता हूं।

---

[2] एआईआर 1979 एस.सी. 478

(7) जहां तक ऊपर संख्या (iii) में उल्लिखित चुनौती का संबंध है, ऊपर उल्लिखित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला निस्संदेह विद्वान वकील के रुख का पूरी तरह से समर्थन करता है, फिर भी मुझे लगता है कि यह घोषणा पूरी तरह से अवहेलना है सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकारियों की एक श्रृंखला, जैसे:-

1. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य[3];

2. ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम जसजीत सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर सीमा शुल्क, कलकत्ता और अन्य[4];

3. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य[5];

4. बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य[6];

5. नगर पालिका समिति अमृतसर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[7],

जिसमें ये निर्धारित किया गया कि एक निगम या कंपनी संविधान के प्रयोजनों के लिए नागरिक नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित

---

[3] एआईआर 1963 एस.सी. 1811

[4] एआईआर 1964 एस.सी. 1451

[5] एआईआर 1965 एस.सी. 40

[6] एआईआर 1967 एस.सी. 295

[7] एआईआर 1969 एस.सी. 1100

अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। यहां यह निर्धारित किया गया कि मामला है कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इस प्रकार, संख्या (iii) पर उठाया गया तर्क याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है और मैं सम्मानपूर्वक इलाहाबाद फैसले में अपनाए गए तर्क का पालन करने से इनकार करता हूं।

(8) जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की चौथी और आखिरी दलील का सवाल है, धारा 133-ए के प्रावधानों और नियम 10.2 के उप-नियम (2) का एक मात्र वाचन पहले ही ऊपर दिया जा चुका है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ अधिकारियों को प्रदत्त पुलिस शक्तियां अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं या केवल अधिनियम के तहत प्रयोग योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि इन अधिकारियों को सामान्य अर्थों में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे पुलिस अधिनियम या पंजाब पुलिस नियमों या आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित किसी अन्य कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों का आनंद लेते हैं। यह मुख्य रूप से सचिव, परिवहन विभाग की चिंता है कि वह उस विभाग के कामकाज को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार देखें और इस प्रकार विवादित अधिसूचना जारी करना पूरी तरह से उनके क्षेत्र में है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्यपाल द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को सरकारी व्यवसाय आवंटित

करने के लिए बनाए गए व्यवसाय के किसी भी नियम का दूर-दूर तक संदर्भ नहीं दिया है, जिसका उल्लंघन शामिल हो सकता है।

(9) ऊपर बताए गए कारणों से, याचिका पूरी तरह से निराधार है और मेरे द्वारा निर्धारित ₹ 500 की लागत के साथ खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।